

# मेले हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परम्परा के प्रतीक : उपायुक्त



**सोलन** । उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने गत दिवस जिला सोलन के धर्मपुर में मनसा देवी की पूजा-अर्चना कर तीन दिवसीय होने वाले मेले हमारी समृद्ध संस्कृति एवं जिला स्तरीय माता मनसा देवी मेले का विधिवत शुभारम्भ किया। मनमोहन शर्मा ने

समस्त क्षेत्रवासियों को माता मनसा देवी मेले की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परम्परा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी का यह मेला सभी की आस्था का



भी प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से न केवल आपसी भाईचारे की भावना को बल मिलता है, बल्कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी यह अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि

हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्यौहार अपने में अनूठे होते हैं और यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर उत्सव एवं त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं।

## पात्र वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने पर जागरूक किए बृथ स्तर अधिकारी

**सोलन** । सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) डॉ. पूनम बंसल ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय भवन में बृथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) तथा बृथ स्तर अधिकारी पर्यवेक्षक के साथ 12 डी फार्म के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पात्र वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग



मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा बारे विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. पूनम बंसल ने कहा कि बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र के 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक)

मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करें, ताकि ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ फार्म 12 डी के माध्यम से उक्त मतदाताओं को उनके घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की आयु 85 वर्ष से कम है, लेकिन बृथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते, उनके लिए बृथ पर स्वयंसेवक तथा व्हीलचेयर का प्रबन्ध किया गया है। डॉ. पूनम बंसल ने कहा कि बीएलओ 22 अप्रैल, 2024 से 12 डी फार्म पात्र मतदाताओं से एकत्रित करना आरम्भ कर देंगे। उन्होंने पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग करें।

मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करें, ताकि ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ फार्म 12 डी के माध्यम से उक्त मतदाताओं को उनके घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की आयु 85 वर्ष से कम है, लेकिन बृथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते, उनके लिए बृथ पर स्वयंसेवक तथा व्हीलचेयर का प्रबन्ध किया गया है। डॉ. पूनम बंसल ने कहा कि बीएलओ 22 अप्रैल, 2024 से 12 डी फार्म पात्र मतदाताओं से एकत्रित करना आरम्भ कर देंगे। उन्होंने पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग करें।

## दुर्गाष्टमी के अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन



**शिमला** । राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी और राज्य की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। अपने शुभ कामना संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार

हम सभी को सत्य के पथ पर चलने और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश देता है। इस पावन अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले, राज्यपाल

और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने सुबह शिमला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काली बाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की और भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया।

## डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता : डीसी

**धर्मशाला** । जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। वे रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को फॉर्म 12-डी जमा करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा अधिकारियों की इस श्रेणी में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरा-मैडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवा कर्मी, एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर (स्थानीय रुट बस सेवाओं को छोड़कर), अग्निशमन सेवाएं, एचपी राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी समितियों की दूध आपूर्ति सेवा के कर्मचारी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानीय मीडियाकर्मी, जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर और एटर-एंडर विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन तथा जेल स्टाफ, जिनके मतदाता सूची में नामांकित हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। बता दें डाक मतदान, जिसे अनुपस्थित मतदान भी कहा जाता है, जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से आने के बजाय मतपत्र के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं। यह विधि उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर हों, या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे होने के कारण व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं।

## करेरी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक

**धर्मशाला** । डाक विभाग मंडल धर्मशाला की ओर चुनाव का पर्व अभियान के तहत करेरी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर अधीक्षक डाकघर रविंद्र शर्मा ने कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पात्र सभी युवाओं को अपना वोट आईडी कार्ड अवश्य बनाना चाहिए ताकि मतदान से वंचित नहीं रह सकें। अधीक्षक डाकघर रविंद्र शर्मा ने कहा कि मतदान बिना किसी प्रलोभन अथवा दबाव में आए बिना करना चाहिए ताकि सही प्रत्याशी का चयन हो सके। पंचायत प्रधान सुषमा देवी ने पंचायत के सभी मतदाताओं से वोट अवश्य डालने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर वार्ड मेंबर शिव दत्त, सहायक अधीक्षक कमल शर्मा, डाकपाल सुरेश कपूर,



निरीक्षक डाकघर अश्वनी पठानिया, डाक पर्यवेक्षक संजय कपूर, डाक सहायक रंजित छेत्री,

उपस्थित थे।

मेले और त्यौहार लोगों में नव उर्जा का संचार करते हैं और हमें इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि यह मेला जहां बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को हिमाचल की विशिष्ट देव संस्कृति से रूबरू करवाता है, वहीं प्रदेश की आर्थिकी को भी संबल प्रदान करने में सहायक है। इस अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में उपायुक्त द्वारा जागरण का भी शुभारम्भ किया गया। इससे पहले उपमंडलाधिकारी (ना.) कसौली एवं अध्यक्ष माता मनसा देवी मेला आयोजन समिति नारायण सिंह चौहान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा समस्त क्षेत्रवासियों को माता मनसा देवी मेले की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मेला समिति के सदस्य तथा भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

## डायरिया की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम: उपायुक्त

**सोलन** । उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि जिला में जल जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला के कुच्छेद क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आने पर इसकी रोकथाम के दृष्टिगत सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। आज मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरिनेशन का कार्य जारी रहा और डायरिया के मामलों में भी कमी देखी गई है।



उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में डायरिया की रोकथाम के लिए अधिशाषी अभियंता हिमूडा को जल संसाधनों का क्लोरीनीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर पर जिन पेयजल भंडारण व स्रोतों के माध्यम से परवाणु और इसके आस-पास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां विभागीय दलों द्वारा क्लोरिनेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य

विभाग को डायरिया के दैनिक मामलों के सम्बन्ध में अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में ओ.आर.एस. पैकेट वितरित करने और आशा कार्यकर्ताओं को मदद से लोगों में जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डायरिया की रोकथाम के लिए नगर परिषद परवाणु, कालका व अन्य निकटवर्ती स्थानों के माध्यम से परवाणु में पानी की आपूर्ति के लिए किए गए प्लंपिंग पानी के टैंकों के पंजीकरण की भी जांच करवाई जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि प्रभावित पंचायतों के सचिवों के सहयोग से डायरिया के बारे में लोगों को ब्रीच जागरूकता फैलाने और डायरिया को फैलने से रोकने के लिए लोगों को अपने घरों में स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने परवाणु में वर्तमान में पंजीकृत और क्लोरिनेट सभी कलबों और संसाधनों के अध्यक्षों से भी डायरिया की रोकथाम के लिए

लोगों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उपायुक्त ने कहा कि सहायक आयुक्त परवाणु तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को परवाणु व आस-पास के क्षेत्रों में डायरिया से बचाव के लिए उचित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल ने बताया कि डायरिया से बचाव के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह पानी उबाल कर पीएं, शौच जाने के बाद हाथ अच्छे से धोएं, दस्त लगने पर ओ.आर.एस का घोल पीएं, दस्त व उल्टियां लगने पर अस्पताल में जांच करवा लें, साफ और ढक्का हुआ खाना ही खाएं तथा जंक फूड से परहेज करें। सहायक आयुक्त परवाणु महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डायरिया की रोकथाम व लोगों को जागरूक करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मेले और त्यौहार लोगों में नव उर्जा का संचार करते हैं और हमें इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि यह मेला जहां बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को हिमाचल की विशिष्ट देव संस्कृति से रूबरू करवाता है, वहीं प्रदेश की आर्थिकी को भी संबल प्रदान करने में सहायक है। इस अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में उपायुक्त द्वारा जागरण का भी शुभारम्भ किया गया। इससे पहले उपमंडलाधिकारी (ना.) कसौली एवं अध्यक्ष माता मनसा देवी मेला आयोजन समिति नारायण सिंह चौहान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा समस्त क्षेत्रवासियों को माता मनसा देवी मेले की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मेला समिति के सदस्य तथा भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

## उपायुक्त की अध्यक्षता में कैथलीघाट से शकराल तक निर्मित हो रहे फोरलेन के लिए फेस-1 की निर्माणाधीन टनल की ब्लारिस्टिंग एवं कंपनी के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए मैसर्स सैमन इंफ्राकॉर्प के साथ बैठक आयोजित

**शिमला** । उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर कैथलीघाट से शकराल गांव तक लगभग 18 किलोमीटर निर्माणाधीन फोरलेन पर फेस-1 में कैथलीघाट शृंगल से गोरोकवां तक मैसर्स सैमन इंफ्राकॉर्प द्वारा निर्मित की जा रही टनल में ब्लारिस्टिंग एवं कंपनी से होने वाले दुष्प्रभाव से निपटने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि कैथलीघाट से शकराल गांव तक लगभग 18 किलोमीटर निर्मित की जा रही फोरलेन शिमला शहर से कुछ ही दूरी पर निर्मित की जा रही है जिस कारण स्थानीय पंचायत क्षेत्र में धूल, मिट्टी तथा पर्यावरण की समस्या होने के साथ-साथ शिमला शहर व आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए टनल का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के तहत किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने कंपनी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियम 92 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत टनल के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लारिस्टिंग मटेरियल का सही रखरखाव, संरक्षण एवं भंडारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्माण कार्य में लगे कामगारों/ईजिनियरों की प्रतिदिन सभी शिफ्टों की ड्यूटी का पंजीकरण, फोटो एवं विडियोग्राफी, सायनर बजाना, पर्यावरण नियंत्रण, अग्निशमन उपकरण व्यवस्था करना, काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जूते, हेलमेट आदि जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान करना तथा आपातकाल के समय कंपनी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, जिसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शामिल हो, सही मापदण्डों एवं अनुमोदित प्लान के तहत अनिवार्य है, जिसकी निगरानी एवं समय-समय पर निरीक्षण के लिए उपायुक्त ने एडीएम शिमला ग्रामीणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टनल निर्माण में होने वाली ब्लारिस्टिंग एवं कंपनी से कैमीकल रिसाव होने का अंदेशा है जिससे शिमला जिला की तीन पंचायतों के ग्रामीण प्रभावित हो सकते हैं और जल स्रोतों के दूषित होने एवं सूखने की स्थिति बन सकती है, इसलिए सुरक्षा प्रबन्धन अनुमोदित प्लान के तहत निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टनल से जो मलबा निकाला जा रहा है उसे अनुमोदित डंपिंग साइटों पर ही फेंका जाए। उपायुक्त ने कहा कि ब्योलिया फोरलेन क्षेत्र में जो मलबा फेंका जा रहा है वह बिना अनुमति के फेंका जा रहा है। लोगों के पीने के पानी के स्रोत एवं रास्ते खराब हो रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान

## बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने के संबंध में बैठक आयोजित

**शिमला** । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था अजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में आज बचत भवन में बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए बेल्ट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर को प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग हिमाचल प्रदेश कच्ची घाटी शिमला से प्रिंट करवाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था ने कहा कि 17 मई 2024 को दोपहर बाद 03 बजे तक शिमला संसदीय सीट (आरक्षित) के सभी उम्मीदवारों की सूची फाईनल हो जाएगी, तदोपरान्त बेल्ट पेपर एवं पोस्टल बेल्ट पेपर प्रिंट करने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेल्ट पेपर एवं पोस्टल बेल्ट पेपर प्रिंट करने में कोई परेशानी न आए इसलिए एडवॉस में सोफ्टवेयर को अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा जिसमें 29 मई से पहले कोई भी तीन दिन निश्चित किए जाएंगे जिसमें सर्विस वोटर एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी अपना आवाज वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं के बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रिंट किए जाने हैं इसलिए छापने की प्रक्रिया तय समय अर्थात् के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी मतदान एवं मतगणना के दौरान अपना-अपना पहचान पत्र बनाना भी सुनिश्चित करें ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकाश की असुविधा न हो। इस अवसर पर नियंत्रक प्रिंटिंग प्रेस राजीव प्रभा, तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा सहित विभिन्न नौसल अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहे।

## आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जल्ती

**शिमला** । हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव और उप-चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और आयकर विभाग द्वारा 7,85,51,662 रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण आदि जब्त किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य आबकारी एवं कशाधान, पुलिस और अन्य विभागों ने 5.51 करोड़ रुपये मूल्य की 381343 लीटर शराब जब्त की है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने अब तक 64.18 लाख रुपये की 32 किलोग्राम चरस, 1.03 करोड़ रुपये कीमत की 1.47 किलोग्राम हेरोइन तथा 25 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3.35 लाख रुपये के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किये जा चुके हैं।

## करेरी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक

**धर्मशाला** । डाक विभाग मंडल धर्मशाला की ओर चुनाव का पर्व अभियान के तहत करेरी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर अधीक्षक डाकघर रविंद्र शर्मा ने कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पात्र सभी युवाओं को अपना वोट आईडी कार्ड अवश्य बनाना चाहिए ताकि मतदान से वंचित नहीं रह सकें। अधीक्षक डाकघर रविंद्र शर्मा ने कहा कि मतदान बिना किसी प्रलोभन अथवा दबाव में आए बिना करना चाहिए ताकि सही प्रत्याशी का चयन हो सके। पंचायत प्रधान सुषमा देवी ने पंचायत के सभी मतदाताओं से वोट अवश्य डालने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर वार्ड मेंबर शिव दत्त, सहायक अधीक्षक कमल शर्मा, डाकपाल सुरेश कपूर, निरीक्षक डाकघर अश्वनी पठानिया, डाक पर्यवेक्षक संजय कपूर, डाक सहायक रंजित छेत्री, विजय कपूर, रंजन सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

## पार्टी के दायित्वों का निर्वहन एकजुट होकर करें कार्यकर्ता

**शिमला** । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य संसदीय सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव वॉर रूम के अध्यक्ष संजय अवस्थी ने वॉर रूम के सभी पदाधिकारियों से अपने अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का आग्रह करते हुए कहा है कि उन्हें फील्ड में उठे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरा समन्वय बना कर हर रोज इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी, जिससे किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके। वॉर रूम के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी दिशानिर्देश अक्षरशः लागू किये जायें। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिला अपने अपने ब्लॉकों के साथ हर बृथ की निगरानी करते हुए बृथ एजेंटों से पूरा तालमेल रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम के अपने अपने प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त किसी भी समस्या के निवारण के लिये कोई भी पदाधिकारी उनसे किसी भी समय संपर्क कर सकता है। अवस्थी ने कहा कि जल्द ही सभी ब्लॉकों में पार्टी की चुनाव प्रचार सामग्री भेजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को घर घर जाकर कांग्रेस के पांच न्याय और 25 गारंटियों की लोगों को जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 15 महीनों की उपलब्धियां जिसमें कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के साथ साथ महिलाओं को 1500 रुपए देने की पार्टी की गारंटी थी उसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक अपनी 10 गारंटियों में से 5 को पूरा कर दिया है, जबकि शेष पांच को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर व एकजुट है और प्रदेश की चारों लोकसभा के साथ साथ छह विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरायेगी।

## सहायक निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों की बैठक

**रिकांगपिओ** । सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम कल्याण डामेजर शशांक गुप्ता ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की बैठक ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनजातीय जिला किन्नौर में निर्वाचन विभाग मतदाताओं को जागरूक करने में निरंतर कार्य कर रहा है तथा मतदान प्रतिशतता में बढ़ोतरी दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार आवश्यक सेवाओं में निर्धारित कर्मियों के लिए पोस्टल बेल्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और इस संदर्भ में बृथ लेवल अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को इस संदर्भ में जागरूक कर रहे हैं तथा दिव्यांग जनों एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए फार्म 12 डी भरे जा रहे हैं ताकि वे घर से मतदान कर सकें। डॉ शशांक गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय लोगों को 1 जून 2024 को अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण की तिथि जो 4 मई 2024 निर्धारित की गई है के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपना सहयोग करें।

बैठक में तहसीलदार निर्वाचन जीोस राणा, तहसीलदार कल्याण कंचन ठाकुर, कानूनी निर्वाचन ताराचंद नेगी, जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।